

॥ कार्यालय कलक्टर गढ़वाल ॥

संख्या 352 () /आठ-भू0अ0 (2016-17) पौड़ी दिनांक 01 फरवरी, 2018

नाम-

ग्राम-पुराना श्रीनगर, तहसील श्रीनगर, जनपद गढ़वाल।

हितबद्ध व्यक्तियों को सार्वजनिक सूचना

उत्तराखण्ड शासन के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 778/XVIII(3)/2017-02(61)/2017 दिनांक 09 नवम्बर 2017 के क्रम संख्या 110 के क्रम में, कलक्टर द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का अधिनियम संख्या 30) की धारा 21 के अधीन सार्वजनिक सूचना, दिनांक 08 दिसम्बर 2017 जो कि दैनिक जागरण एवं अमर उजाला में प्रकाशित की गई कि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि ऋषिकेश, कर्णप्रयाग रेल लाईन परियोजना हेतु निम्न वर्णित भूमि की आवश्यकता है:-

ख0 खा0 सं0	सर्वेक्षण संख्या	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (है0में)	सीमाएं				वृक्ष		संरचना	
					उ0	द0	पू0	प0	उद्यान	वन	प्रकार	कुर्सी क्षेत्रफल (वर्ग मी0)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
82	1396	संयुक्त	कृषि	0.017	1397	1399	1399	1393	-	-	-	-
	1397	संयुक्त	कृषि	0.021	1398	1396	1399	1311	-	-	-	-
	1398	संयुक्त	कृषि	0.084	1386	1397	1399	1389	-	-	-	-
	1399	संयुक्त	कृषि	0.043	1386	1400	1401	1396	-	-	-	-
	1400	संयुक्त	कृषि	0.048	1399	1371	1401	1395	-	-	आवासीय व्यवसायिक	195.67 24.22
	1407	संयुक्त	कृषि	0.136	1409	1385	1416	1408	-	-	आवासीय आवासीय आवासीय	189.47 152.60 45.68
	1408	संयुक्त	कृषि	0.012	1410	1407	1407	1383	-	-	-	-
	1409	संयुक्त	कृषि	0.034	1410	1407	1416	1408	-	-	-	-
योग	8	-	-	0.395	-	-	-	-	-	-	-	-

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

ज्योती प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद, शबीहा अन्सारी पत्नी मो0 आरिफ अन्दर 374हि0, चन्द्रकान्ता पत्नी राजेन्द्र प्रसाद 146हि0, संदीप पुत्र राजेन्द्र प्रसाद 146हि0, सुशान्त पुत्र राजेन्द्र प्रसाद 146 हि0, ललिता प्रसाद पुत्र महावीर प्रसाद 474हि0, बृजमोहन 34हि0 रमेशचन्द्र 61हि0 दिनेश चन्द्र 34हि0 जगदीश प्रसाद 61हि0 राकेश प्रसाद 61हि0 सुरेश चन्द्र 47हि0 पुत्रगण रघुवीर प्रसाद, बसंती देवी पत्नी रघुनंदन 71हि0 ओम प्रकाश पुत्र, रघुनंदन, कान्ती देवी लिंगवाल पत्नी विजय सिंह ग्राम कुनड़ी अन्दर 68हि0, विमल प्रकाश पुत्र रघुनंदन,

कान्ती देवी लिंगवाल पत्नी विजय सिंह ग्राम कुनडी अन्दर 71हि0 चन्द्रप्रकाश 60हि0 सूर्यप्रकाश 60.5हि0 पुत्रगण रघुनंदन, कमला देवी 32 हि0 पत्नी सुधाकर भट्ट, रूकमा देवी 16 हि0 पत्नी महावीर प्रसाद, कु0शान्ति पुत्री उमानन्द 8हि0, नवलचन्द्र पुत्र नारायण प्रसाद 338हि0, मनमोहन, पुनीत मिततल पुत्र भारत भूषण, रविता मिततल पत्नी भारत भूषण, राजन मिततल पुत्र भारत भूषण अन्दर 205 हि0 मदनमोहन 205हि0 पुत्रगण रामप्रसाद, नन्दीपमल.....हि0, दिग्विजयमल.....हि0, यशवन्तमल 2हि0 पुत्रगण कुन्दन सिंह, रूकमा सिंह पुत्र जय सिंह 3हि0 माधुरी पत्नी आर्यदत्त 15हि0, नगर पालिका 16हि0 अब्दुल वहीद 46हि0 अब्दुल रसीद 40हि0 पुत्रगण नन्है, रामलाल पुत्र बोधराज, नियाज प्रवीन पत्नी अफसर हुसैन नि0 काला रोड, संगीता रावत पत्नी राकेश रावत नर्सरी रोड अन्दर 32हि0, मदन लाल पुत्र राम स्वरूप 35हि0 राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल 24हि0 निर्मला देवी पत्नी जगदम्बा प्रसाद 24हि0 हरीश चन्द्र पुत्र पूर्णाचन्द 16हि0 समुद्रा देवी पत्नी हरीश चन्द्र 16हि0 रामजय 16हि0 धनन्जय 16हि0 पुत्रगण कृपाल सिंह, उषा डोभाल पत्नी कैलाश चन्द्र, सुशील डोभाल पुत्र एस0पी0 डोभाल अन्दर 16हि0 मुकेश डोभाल पुत्र कैलाश चन्द्र 16हि0 मदन सिंह पुत्र चतर सिंह 16 हि0 माधवलाल पुत्र सुन्दर लाल 20हि0 बामदेव पुत्र टीकाराम 12हि0 शान्ति देवी पत्नी हीरामणी 16हि0 हीरामणी पुत्र बद्री प्रसाद 8हि0 ओमप्रकाश पुत्र जगदीश प्रसाद 57हि0 समशुनिशा पत्नी अब्दुल वाहिद 32हि0 सबीहा अंसारी पत्नी मो0 आरीफ 16हि0 सीता देवी पत्नी किशन सिंह 16हि0 राजेश्वरी देवी भण्डारी पत्नी गम्भीर सिंह भण्डारी, जौमती देवी पत्नी जसपाल सिंह रावत अन्दर 9.5हि0, ललिता दिवारी पत्नी सुरेश चन्द्र 14हि0 सुरेन्द्र सिंह पुत्र भीम सिंह 10हि0, ग्रा0नि0कुल 3278हि0

जरिये नोटिस आपको सूचित किया जाता है कि शासन का आशय उपर्युक्त वर्णित भूमि पर कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिये उपरोक्त वर्णित भूमि में या उसके किसी भाग में, अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के, उनकी आपत्तियों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किये गये मापों के सम्बन्ध में, उनके आक्षेपों के साथ, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन के दावे, सहस्वतधारी, उपस्वत्वधारी, बंधकदार, अभिधारी के रूप में या अन्यथा कोई हित रखने वाले के रूप में इस घोषणा के प्रकाशन से 30 दिन की अवधि में प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यालय समय में कार्यालय कलक्टर गढ़वाल, स्थान पौड़ी को व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा उपस्थित होकर कर सकते हैं।

ऐसे सभी दावे लिखित में किये जायेंगे तथा पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे।

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उपरोक्त वर्णित भूमि में हितबद्ध है, हितों की प्रकृति तथा भूमि में इस घोषणा की प्रकाशन से 3 वर्ष पूर्व प्राप्त या प्राप्य भाटक और लाभ की सूचना का एक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(रामजी शरण शर्मा)
कलक्टर गढ़वाल
(वास्ते भूमि अधिग्रहण प्रयोजनार्थ)